KRISHI VIGYAN KENDRA-KOTPUTLI, Kotputli-Behror
DIRECTORATE OF EXTENSION EDUCATION
SRI KARAN NARENDRA AGRICULTURE UNIVERSITY
JOBNER, JAIPUR (RAJASTHAN)

भाकृअनुप
ICAR

Lt. Col (Dr.) S.S. Shekhawat
Senior Scientist & Head

Email: pc.kvk.gonera@sknau.ac.in
Mobile No. 9408660365

No. KVK/KTP/2026/433 Dated: 28.2.2026

सीमित निविदा

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनेड़ा, कोटपूतली–बहरोड़ पर Multi cut बाजरा बीज की आवश्यकता है। इसके लिए सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक रजिस्टर्ड फर्म अपनी निविदाएं दिनांक 09.03.2026 दोपहर 12:00 बजे तक कार्यालय में जमा करा सकते हैं। निविदायें इसी दिन दिनांक 09.03.2026 उपस्थित निविदादाताओं के सामने दोपहर 12:30 बजे खोली जाएगी। उक्त सामग्री की अनुमानित राशि 110000 रु. (अक्षरे एक लाख दस हजार रुपये मात्र) होगी। उक्त सामानों की मात्रा को घटाने या बढ़ाने का अथवा निविदा को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का समस्त अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

सुपर्णा सिंह
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

प्रतिलिपि–

1. श्री मान निदेशक प्रसार शिक्षा, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्री मान वित्त नियत्रंक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
3. प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड़ करवाने का श्रम करावें।
4. संयोजक / सदस्य, निविदा कमेटी।

सुपर्णा सिंह
वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

Krishi Vigyan Kendra, Gonera, Kotputli-Behror

S. No.	Name of Itme	Rate (Rs.) (Including all taxes)
1.	Multi Cut बाजरा बीज	

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

सुपर्ण सिंह

सीमित निविदा अन्य शर्तें

1. उक्त निविदा की अवधि कार्यादेश जारी होने से एक वर्ष की अवधि तक होगी।
2. सीमित निविदा सूचना में प्रकाशित शर्तें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम–68 एवं वित्त विभाग, राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 की शर्तें निविदा का भाग मानी जाएगी। सामान की आपूर्ति कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनेड़ा–कोटपूतली–बहरोड़ पर करनी होगी।
3. सीमित निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र "अ" में Multi cut बाजरा बीज हेतु निविदादाता अपनी दरें दर्शाएं। कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनेड़ा, कोटपूतली–बहरोड़ के प्रपत्र के प्रारूप के अतिरिक्त किसी अन्य दस्तावेज पर दी गई दरें मान्य नहीं होगी।
4. सीमित निविदा मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाएगी, जिस पर के क्रय के लिए सीमित निविदा लिफाफे पर अंकित होनी चाहिए।
5. फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों का भुगतान संबंधित फर्म द्वारा संतोषप्रद होने की पुष्टि होने पर ही किया जाएगा।
6. सीमित निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। कार्य आपूर्ति संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। सीमित निविदादाता बोली प्रपत्र की शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा।
7. सीमित निविदा प्रपत्र में किसी प्रकार की कांट–छांट/ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए।
8. निर्धारित समय में कार्य संपन्न नहीं करने/आपूर्ति नहीं करने पर राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार राशि वसूल की जाएगी।
9. भुगतान संबंधित निविदादाता को बैंक खाते में ऑनलाइन या चैक द्वारा सीधा ही किया जाएगा।
10. सफल निविदादाता के समय पर सामान आपूर्ति नहीं करने पर या कार्य संतोषजनक नहीं करने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार होगा की अनुमोदित फर्म द्वारा हर्जे खर्चे पर पेनल्टी सहित अन्य व्यवस्था द्वारा क्रय अन्य फर्म से कर सके तथा पिछले आपूर्ति किये सामान का भुगतान नहीं किया जाएगा।
11. बोली प्रपत्र दिनांक 09.03.2026 को प्रातः 12:00 बजे तक प्राप्त कर उसी दिन दोपहर 12:30 बजे कमेटी के समक्ष खोले जायेंगे, देरी से प्राप्त निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
12. उपयुक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तें निविदा सूचना एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्त विभाग राजस्थान की अधिसूचना दिनांक 25.01.2015 के प्रावधान लागू होंगे।
13. किसी भी उत्पन्न विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र कोटपूतली–बहरोड़–बहरोड़, राजस्थान होगा।

सुवर्ण सिंह

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
कृषि विज्ञान केन्द्र, गोनेड़ा, कोटपूतली–बहरोड

मैंने/हमने उपरोक्त सभी शर्तों को सावधानीपूर्व पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। तथा मैं/हम उपयुक्त समस्त शर्तों से प्रतिबंधित रहूँगा/रहेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर